न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 214/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सरोज मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स अमर लाल स्वीटस, प्लाट नं. 52, सिंधी कालोनी, बनीपार्क, जयपुर।
2. श्री घनश्याम गुरुदासवानी पुत्र श्री अर्जुन दास गुरुदासवानी, निवासी 52, सिन्धी कालोनी, बनीपार्क, जयपुर मालिक फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री गोकुल चंद अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक सरोज मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.11.2010 को शिकायत की जांच हेतु मैसर्स अमर लाल स्वीटस के गोदाम एवं कारखाने पर कार्यवाही के दौरान 8 घरेलू गैस सिलेण्डर(5एचपीसी+2बीपीसी+1आईओसी) मय एलपीजी 109 किग्रा व 2 रेग्यूलेटर मय रबर पाईप जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर, कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय करके भण्डारण/संग्रहण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 27.12.2010 को अधिवक्ता श्री गोकुल चंद ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 04.11.2010 को जब्त सामान का अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर, कालाबाजारी से सिलेण्डर क्रय करके अवैध भण्डारण/संग्रहण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर घरेलू सिलेण्डर भट्टी में लगाकर दूध गर्म करने व मावा बनाने के काम में लिये जाते हुए पाये गये। जिससे उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग करना व अन्य सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।